

(भाग-3)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव '— वर्ष 2016-17 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद मैनपुरी में शिकोहाबाद-भोगाँव मार्ग (राज्य मार्ग सं०- 84) के चैनैज 21.00 से 43.800 एवं घिरोर बाईपास मार्ग (ल० 6.56 कि०मी०) कुल लम्बाई 25.66 कि०मी० का चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य हेतु मार्ग के दोनों तरफ पड़ने वाली संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु आवेदन ।

प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल - 24.92755 हे०

1- स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करे ।	नहीं
2- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है ।	सहमति व्यक्त की जाती है।
3- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	प्रस्ताव अग्रहित में होने के कारण संस्तुति की जाती है।

तिथि - 01/06/17

स्थान - झागरा

(पी.के. सिंह)
वन संरक्षक
आमरावत, आमरा